पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 02 अगस्त, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :—

उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ के कैम्पस में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर, गुजरात के रीजनल सेन्टर/कैम्पस के स्थाई भवन का निर्माण होने तक, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में चिन्हित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के भवन को 03 वर्ष की अवधि हेतु निःशुल्क लिए जाने के लिए, गृह विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ के कैम्पस में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर, गुजरात के रीजनल सेन्टर/कैम्पस के स्थाई भवन का निर्माण होने तक, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में चिन्हित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के भवन को 03 वर्ष की अवधि हेतु निःशुल्क लिए जाने के लिए, गृह विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मध्य एक एम0ओ0यू0 किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में आर0आर0यू0 अधिनियम संख्या 31/2020 के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तथा पुलिस सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले दक्ष कार्मिकों की उपलब्धता, शोध, प्रशिक्षण एवं आंतरिक—वाह्य सुरक्षा जैसे महत्वूपर्ण विषयों के लिए राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान—राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है।

कुलपति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आर0आर0यू0) का रीजनल सेन्टर/कैम्पस स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री जी ने उक्त रीजनल

सेन्टर/कैम्पस उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के परिसर में केन्द्रीय संस्थान हेतु आरक्षित 05 एकड़ भूमि पर स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

आर0आर0यू0 के रीजनल सेन्टर के स्थाई भवन का निर्माण होने तक पारगमन सेन्टर के रूप में रीजनल सेन्टर प्रारम्भ किये जाने हेतु आर0आर0यू0 द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से संलग्न राजकीय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के भवन को इस ट्रांजिट/अस्थाई कैम्पस के संचालन के लिए चिन्हित किया गया। इसके दृष्टिगत गृह विभाग तथा निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के मध्य समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, लखनऊ में निर्मित कक्षों में से वांछित कक्षों को 03 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 किया जाना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अस्थाई रीजनल सेन्टर के संचालन हेतु व्यय भार का वहन आर0आर0यू0 द्वारा किया जाएगा।

____

श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण/सुन्दरीकरण योजना के अन्तर्गत 12.940 किलोमीटर कुल लम्बाई के सहादतगंज नयाघाट मेन स्पाईन रोड के निर्माण हेतु, भूमि एवं भवन अधिग्रहण व्यय की 378.77 करोड़ रु0 की धनराशि सहित कुल 797.69 करोड़ रु0 की निर्माण लागत का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण/सुन्दरीकरण योजना के अन्तर्गत 12.940 किलोमीटर कुल लम्बाई के सहादतगंज नयाघाट मेन स्पाईन रोड के निर्माण हेतु, भूमि एवं भवन अधिग्रहण व्यय की 378.77 करोड़ रुपये की धनराशि सहित कुल 797.69 करोड़ रुपये की निर्माण लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा, भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त किया जाए। भूमि अधिग्रहण वित्तीय नियमों के आधार पर सी0ए0एल0ए0 (कॉम्पीटेन्ट एथॉरिटी ऑफ लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से किया जाय।

ज्ञातव्य है कि जनपद अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार इस मार्ग को आधुनिक बनाने हेतु सड़क के साथ ही सीवर, पावर केबिल, वॉटर डक्ट आदि की व्यवस्था की गयी है। इस तरह सभी यूटिलिटीज के लिए एक साथ मार्ग के साथ ही प्राविधान किया गया है। अयोध्या के इस 12.940 किलोमीटर कुल लम्बाई के मुख्य मार्ग का आगणन पूर्ण रूप से नये सिरे से एक मॉडर्न सिटी की ट्रंक रोड के रूप में किया गया है। ड्रेन आदि की डिजाइन मानक के अनुरूप की गयी है।

मार्ग का निर्माण हो जाने पर लोगों को सुगम आवागमन का बेहतर माध्यम मिलेगा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इससे अयोध्या में पर्यटन का विकास होगा।

————————

नगर निगम वाराणसी की सीमा विस्तार के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने नगर पंचायत सूजाबाद एवं नगर पालिका परिषद रामनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र को नगर निगम वाराणसी के वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए नगर निगम वाराणसी की सीमा विस्तार करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होने पर सुसंगत संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया है।

नगर निगम वाराणसी की सीमा विस्तार किये जाने से उसमें सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों के निवासियों को और बेहतर मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही, नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का बेहतर प्रबन्धन किया जा सकेगा। इस सीमा विस्तार से नगर निगम की आय में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र के विकास हेतु निगम के व्यय सम्बन्धी दायित्व निर्वहन में आसानी होगी। क्षेत्र के अवस्थापना विकास के होने से स्थानीय निवासियों हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन की सम्भावना है।

नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद अनूपशहर, जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद मोदीनगर, मुरादनगर व लोनी, जनपद शामली की नगर पालिका परिषद कैराना तथा जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद खतौली के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने सम्बन्धित अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त किसी त्रुटि के परिलक्षित होने पर नगर विकास विभाग के मंत्री को संशोधन/परिमार्जन के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद अनूपशहर के विस्तार के प्रस्ताव में जाफराबाद, लच्छमपुर, कुंवरी, शेरपुर फतेहपुर, करनपुर पगौना ग्रामों को शामिल किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद मोदीनगर के विस्तार के प्रस्ताव में बेगमाबाद बुदाना, बिसोखर, कादराबाद, सीकरी कलां, सीकरी खुर्द, औरंगाबाद गदाना, विजयनगर एवं सूरत सिटी गांवों, नगर पालिका परिषद मुरादनगर के विस्तार के प्रस्ताव में अबुपुर, सरना, सहबिस्वा जलालपुर रघुनाथपुर असालतपुर, मोहम्मदपुर गांवों तथा नगर पालिका परिषद लोनी के विस्तार के प्रस्ताव में अगरौला सादाबाद डुगरावली, पावी सादकपुर, सिखररानी, शरफुद्दीन जावली, बन्थला टीला शहबाजपुर, निस्तौली (आंशिक), हकीकतपुर, ऊर्फ खुदाबास, खानपुर जप्तीख, इलायचीपुर गांवों को शामिल किया गया है।

जनपद शामली की नगर पालिका परिषद कैराना के सीमा विस्तार के प्रस्ताव में ग्राम झाडखेडी (आंशिक), कैराना बाहर हदूद हलका नं02 (आंशिक), कैराना बाहर हदूद हलका नं01 (आंशिक), कैराना बाहर हदूद हलका नं03 (आंशिक) को शामिल करने का प्रस्ताव है।

जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद, खतौली के सीमा विस्तार के प्रस्ताव में खतौली रूरल/आबादी के खसरा नं0 99 से 1526, खतौली अर्बन (खतौली ग्रामीण) खसरा नं0460 से 492 व 494 से 553, मुबारिकपुर तिगाई खसरा नं0 97 से 111 व 124 से 128, खतौली अर्बन और रूरल के खसरा नं0 251 से 314 व 315 से 459 और 232 से 250, खतौली रूरल/अर्बन खसरा नं01 से 100 व 105 से 115 और 180 से 231 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

इन नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के जनमानस को व्यावसायिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, यातायात, सफाई व अन्य नागरिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। इससे उनकी जीवन शैली की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण होने से रोजगार सृजन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों को निर्णयों की जानकारी देने के लिए मीडिया सेण्टर, लोक भवन में आहूत मीडिया ब्रीफिंग में नगर विकास मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने यह जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद द्वारा नगर पालिका परिषद सोनभद्र की सीमा विस्तार का निर्णय भी लिया गया है।

जनपद फतेहपुर की नगर पंचायत खागा तथा जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत निगोही के सीमा विस्तार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद फतेहपुर की नगर पंचायत खागा तथा जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत निगोही के सीमा विस्तार के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना में किसी त्रुटि के परिलक्षित होने पर उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन/परिमार्जन के लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।

इन नगर पंचायतों के सीमा विस्तार से इनकी सीमा में सम्मिलित होने वाले गांवों का उत्तरोत्तर विकास होगा तथा वहां के निवासियों को बेहतर शहरी सुविधाएं प्राप्त होंगी। नगर पंचायतों के सीमा विस्तार से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होगा, जिससे रोजगार सृजन के विभिन्न अवसर सृजित होंगे।

ज्ञातव्य है कि जब किसी नगर पंचायत का निकटस्थ ग्राम/क्षेत्र, नगर पंचायत सीमा विस्तार किये जाने सम्बन्धी मानक पूर्ण करता है, तो उस क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया जाता है।

विगत कुछ वर्षों से इन नगर पंचायतों के सटे ग्रामों या विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पन्न शहरी गुणों के दृष्टिगत मानक के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को उपयुक्त पाये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में इन नगर पंचायतों (जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत निगोही तथा जनपद फतेहपुर की नगर पंचायत खागा) के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना निर्गत करते हुए जनसामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त किये गये। प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के उपरान्त जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत निगोही तथा जनपद फतेहपुर की नगर पंचायत खागा के सीमा विस्तार सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

————————

जनपद प्रतापगढ़ में नगर पंचायत डेरवा बाजार के गठन सम्बन्धी अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने जनपद प्रतापगढ़ में नगर पंचायत डेरवा बाजार के गठन सम्बन्धी अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त अधिसूचना के निर्गत होने के उपरान्त यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसे आवश्यकतानुसार संशोधित/परिमार्जित किये जाने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि जनपद प्रतापगढ़ से नगर पंचायत डेरवा बाजार का गठन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के मानक के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में नगर पंचायत डेरवा बाजार का गठन किये जाने के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना निर्गत करते हुए जनसामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त किये गये थे। प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के उपरान्त जनपद प्रतापगढ़ में नगर पंचायत डेरवा बाजार का गठन किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना को निर्गत करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

————————

<u>मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुमोदन</u>

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY : नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकाय हेतु) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश में नवसृजित/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नागर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं यथा–सड़क, पार्क, नाला/नाली, सामुदायिक भवन (कल्याण मण्डप), परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा विद्युत क्षेत्र की आधारभूत संरचना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित कुल 191 निकायों तथा भविष्य में सृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित होने वाली प्रत्येक श्रेणी की निकायों के मध्य नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित फार्मूले के अनुसार धनराशि आवंटित की जाएगी। फार्मूले के तहत नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या 2011 को प्रदत्त भार 90 प्रतिशत तथा नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र का क्षेत्रफल को प्रदत्त भार 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

नगरीय निकायों की परियोजनाओं/कार्यों के लिए यदि योजनान्तर्गत किसी निकाय को फार्मूले के अनुसार आवंटित धनराशि से अधिक की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में धनराशि के मानक में नगरीय निकाय की आवश्यकता के दृष्टिगत जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विचलन हेतु नगर विकास मंत्री अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होने की दशा में मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी परिवर्तन के लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें से नवसृजित नगर पंचायत हेतु 366.30 करोड़ रुपये, सीमा विस्तारित नगर पंचायत हेतु 53.35 करोड़ रुपये, सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषद हेतु 58.85 करोड़ रुपये, सीमा विस्तारित नगर निगम हेतु 71.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित है। योजनान्तर्गत आच्छादित नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों को परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष समतुल्य धनराशि उन्हें राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं आदि से प्राप्त धनराशि में से यथासम्भव डवटेल करते हुए उपलब्ध करानी होगी, ताकि निकायों की विकास योजना की समुचित प्लानिंग हो सके तथा सार्थक तथा जनोपयोगी परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो।

योजना के तहत भवनों के निर्माण में परम्परागत तकनीकों के अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल नवाचार तकनीक (इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नीक) का उपयोग किया जा सकता है।

191 नागर निकायों की सूची।

क्रमांक	जनपद	क्रमांक	नागर निकाय
1	आगरा	1	नगर निगम, आगरा
2	अयोध्या	2	नगर निगम, अयोध्या
		3	नई नगर पंचायत, खिरौनी (शूचित्तागंज)
		4	नई नगर पंचायत, कुमारगंज
3	गोरखपुर	5	नगर निगम,गोरखपुर
		6	नगर पंचायत, गोला बाजार
		7	नगर पंचायत, मुण्डेरा बाजार
		8	नगर पंचायत, पीपीगंज
		9	नगर पंचायत, पिपराइच
		10	नई नगर पंचायत, चौमुखां कैम्पियरगंज
		11	नगर पंचायत, उरूवा बाजार
		12	नगर पंचायत, घघसरा बाजार
		13	नगर पंचायत, बडहलगंज
4	फिरोजाबाद	14	नगर निगम, फिरोजाबाद
		15	नई नगर पंचायत, मक्खनपुर
5	लखनऊ	16	नगर निगम, लखनऊ
		17	नई नगर पंचायत, बन्थरा
		18	नई नगर पंचायत, मोहनलालगंज
		19	नगर पंचायत, मलीहाबाद
6	मथुरा	20	नगर निगम मथुरा
		21	नगर पंचायत, गोवर्धन
		22	नगर पंचायत, राधाकुण्ड
7	प्रयागराज	23	नगर निगम, प्रयागराज
8	शाहजहांपुर	24	नगर निगम, शाहजहांपुर
		25	नई नगर पंचायत, कलान
		26	नई नगर पंचायत, बांदा
		27	नई नगर पंचायत, निगोही
9	वाराणसी	28	नगर निगम, वाराणसी
		29	नई नगर पंचायत, सूजाबाद
10	कौशाम्बी	30	नगर पालिका परिषद, भरवारी
		31	नगर पालिका परिषद, मंझनपुर
		32	नई नगर पंचायत, चरवा
		33	नई नगर पंचायत, दारानगर
		34	नई नगर पंचायत, पूरब पश्चिम शरीरा
11	अम्बेडकर नगर	35	नगर पालिका परिषद, जलालपुर
		36	नई नगर पंचायत, जहांगीरगंज
		37	नई नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर

12	अमेठी	38	नगर पालिका परिषद, जायस
13	बहराइच	39	नगर पालिका परिषद, बहराइच
		40	नई नगर पंचायत, कैसरगंज
		41	नई नगर पंचायत, पयागपुर
14	बाराबंकी	42	नगर पालिका परिषद, नबावगंज
		43	नगर पंचायत, बंकी
		44	नई नगर पंचायत, रामसनेही घाट
15	भदोही	45	नगर पालिका परिषद, भदोही
16	बिजनौर	46	नगर पालिका परिषद, बिजनौर
17	बुलन्दशहर	47	नगर पालिका परिषद, खुर्जा
18	एटा	48	नगर पालिका परिषद, मरहेरा
		49	नगरपंचायत, मिरहची
19	हाथरस	50	नगर पालिका परिषद, हाथरस
		51	नगर पंचायत, सहपऊ
20	जालौन	52	नगर पालिका परिषद, जालौन
		53	नगर पालिका परिषद, कौंच
		54	नगर पंचायत, रामपुरा
		55	नई नगर पंचायत, एट
21	कन्नौज	56	नगर पालिका परिषद, कन्नौज
22	कानपुर देहात	57	नगर पालिका परिषद, पुखराया
		58	नई नगर पंचायत, कंचौसी
		59	नई नगर पंचायत, मूसानगर
		60	नई नगर पंचायत, राजपुर
		61	नई नगर पंचायत, रनिया
23	सहारनपुर	62	नगर पालिका परिषद, सरसावा
		63	नगर पंचायत, रामपुर मनीहरन
		64	नई नगर पंचायत, छुटमालपुर
24	अमरोहा	65	नगर पालिका परिषद अमरोहा
		66	नई नगर पंचायत, सैदनगली
25	बांदा	67	नगर पंचायत, बबेरू
		68	नगर पंचायत, नरैनी
		69	नगर पंचायत, तिन्दवारी
		70	नगर पंचायत, मटौंध
26	प्रतापगढ़	71	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़
		72	नगर पंचायत, अंतू
		73	नगर पंचायत, रानीगंज
		74	नई नगर पंचायत, ढकवा
		75	नई नगर पंचायत, रामगंज
		76	नई नगर पंचायत, कोहडौर
		77	नई नगर पंचायत, पृथ्वीगंज
		78	नई नगर पंचायत, सुवासा बाजार
		79	नगर पंचायत, कटरा गुलाब सिंह बाजार
		80	नगर पंचायत, हीरागंज बाजार
		81	नगर पंचायत, गडवारा बाजार

		82	नगर पंचायत, लालगंज
		83	नगर पंचायत, कटरा मेहनीगंज
		84	नगर पंचायत, मानिकपुर
27	रायबरेली	85	नगर पंचायत, महराजगंज
		86	नगर पंचायत, परसदेपुर
		87	नगर पंचायत, सलोन
28	सीतापुर	88	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद
		89	नगर पंचायत, महोली
		90	नगर पंचायत, हरगांव
		91	नगर पंचायत, तम्बौर कम अहमदाबाद
29	सोनभद्र	92	नगर पंचायत, चोपन
		93	नगर पंचायत, ओबरा
		94	नई नगर पंचायत, अनपरा
		95	नई नगर पंचायत, डाला बाजार
		96	नगर पंचायत, रेनुकूट
30	उन्नाव	97	नगर पंचायत, औरास
		98	नगर पंचायत, बीघापुर
		99	नगर पंचायत, भगवन्त नगर
		100	नगर पंचायत, ऊगू
		101	नई नगर पंचायत, अचलगंज
31	अलीगढ़	102	नई नगर पंचायत, बरौली
		103	नई नगर पंचायत, गबहाना
		104	नई नगर पंचायत, जवान सिकन्दरपुर
		105	नई नगर पंचायत, टप्पल
		106	नई नगर पंचायत, चन्दौस
		107	नई नगर पंचायत, मण्डराक
		108	नई नगर पंचायत, पिसावां
32	आजमगढ़	109	नई नगर पंचायत, बुढ़नपुर
		110	नई नगर पंचायत, जहानागंज बाजार
		111	नगर पंचायत, आजमगढ
		112	नगर पंचायत, मार्टिनगंज
		113	नगर पंचायत, महराजगंज
		114	नगर पंचायत, कटघर लालगंज
33	बलिया	115	नई नगर पंचायत, रतसरकलां
		116	नई नगर पंचायत, नगरा
34	बस्ती	117	नई नगर पंचायत, गनेशपुर
		118	नई नगर पंचायत, कप्तानगंज
		119	नगर पंचायत, बभनान बाजार
		120	नगर पंचायत, हरैया
		121	नई नगर पंचायत, मुण्डेरवा
		122	नई नगर पंचायत, नगर बाजार
		123	नई नगर पंचायत, भानपुर
		124	नई नगर पंचायत, गायघाट
35	जौनपुर	125	नई नगर पंचायत, गौरा बादशाहपुर

		126	नई नगर पंचायत, कचगांव
		127	नई नगर पंचायत, रामपुर
36	कुशीनगर	128	नगर पालिका परिषद, पडरौना
		129	नई नगर पंचायत, छितौनी
		130	नई नगर पंचायत, दूधही
		131	नई नगर पंचायत, फाजिलनगर
		132	नई नगर पंचायत, सुकरौली
		133	नई नगर पंचायत, तमकुहीराज
		134	नगर पंचायत, सेवरही
37	महराजगंज	135	नगर पालिका परिषद, महराजगंज
		136	नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार
		137	नई नगर पंचायत, चौक
		138	नई नगर पंचायत, बृजमनगंज
		139	नगर पंचायत, पनियरा
		140	नगर पंचायत, परतावल
		141	नगर पंचायत, आनन्दनगर
38	फतेहपुर	142	नगर पंचायत, खखरेरू
		143	नगर पंचायत, कारीकन धाता
		144	नई नगर पंचायत, असोधर
		145	नगर पंचायत, कोरा जहानाबाद
39	देवरिया	146	नगर पालिका परिषद, गौराबरहज
		147	नगर पंचायत, तरकुलवा
		148	नगर पंचायत, पथरदेवा
		149	नगर पंचायत, बैतालपुर
40	गोण्डा	150	नगर पंचायत, तरबगंज
		151	नगर पंचायत, धानेपुर
		152	नगर पंचायत, बेलसर
41	बलरामपुर	153	नगर पंचायत, तुलसीपुर
		154	नगर पंचायत, गैंसडी
		155	नगर पंचायत, पचपेडवा
42	रामपुर	156	नई नगर पंचायत, दढियाल
		157	नई नगर पंचायत, नरपतनगर डून्दवाला
		158	नई नगर पंचायत, सैफनी
43	संतकबीरनगर	159	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद
		160	नई नगर पंचायत, बाघनगर ऊर्फ बखिरा
		161	नई नगर पंचायत, बेलहरकला
		162	नगर पंचायत, मेंहदावल
		163	नगर पंचायत, हैसर बाजार धनधटा
44	सिद्धार्थनगर	164	नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर
		165	नई नगर पंचायत, बढनी चाफा
		166	नई नगर पंचायत, भारतभरी
		167	नई नगर पंचायत, बिस्कोहर
		168	नई नगर पंचायत, इटवा
		169	नई नगर पंचायत, कपिलवस्तु

		170	नगर पंचायत, शोहरतगढ
45	मऊ	171	नगर पंचायत, कुर्तीजाफरपुर
		172	नगर पंचायत, अमिला
		173	नगर पंचायत, कोपागंज
46	चित्रकूट	174	नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी
		175	नई नगर पंचायत, मऊ
		176	नगर पंचायत, राजापुर
47	लखीमपुर खीरी	177	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदी
		178	नई नगर पंचायत, निघासन
		179	नगर पंचायत, भीरा
48	हमीरपुर	180	नगर पंचायत, कुरारा
49	फर्रूखाबाद	181	नगर पंचायत, शमसाबाद
		182	नई नगर पंचायत, नवाबगंज
50	ललितपुर	183	नगर पंचायत, महरौनी
51	महोबा	184	नगर पंचायत, कुलपहाड़
52	बागपत	185	नई नगर पंचायत, रतौल
53	बदायूं	186	नई नगर पंचायत, दहगांव
54	मैनपुरी	187	नगर पंचायत, बर्नहाल
55	मुरादाबाद	188	नगर पंचायत, महम्मूदपुर माफी
56	पीलीभीत	189	नगर पंचायत, पकरिया नौगांव
57	सुल्तानपुर	190	नई नगर पंचायत, लम्बुआ
58	हरदोई	191	नगर पंचायत, पाली

————————————